"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 10 जनवरी 2012—पौष 20, शक 1933

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 जनवरी 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 26/2011/34-2/02/23.—छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवा, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद), सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम, अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

स. क्र.	कार्यालय/निकाय/ अभिकरण का नाम	छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है	सेवा प्रदाय करने की समय-सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	सहायक अभियंता (लो.स्वा.यां.वि. के संबंधित उपखण्ड कार्यालय)	पेयजल स्रोतों के परीक्षण	15 कार्य दिवस	प्रयोगशाला सहायक	कार्यपालन अभियंता (लो.स्वा.यां.वि. के संबंधित खण्ड कार्यालय)	अधीक्षण अभियंता (लो.स्वा.यां.वि. के संबंधित मण्डल कार्यालय)

(1)	(2)			(5)	(6)	(7)
2.	सहायक अभियंता (लो.स्वा.यां.वि. के संबंधित उपखण्ड कार्यालय)	हेण्डपंप सुधार की सूचना	05 कार्य दिवस	मैकेनिक/प्रभारी उप अभियंता	सहायक अभियंता (लो.स्वा.यां.वि. के संबंधित उपखण्ड कार्यालय)	कार्यपालन अभियंता (लो.स्वा.यां.वि. के संबंधित खण्ड कार्यालय)
3.	**विभाग के निर्माण कार्यों के लिए ठेकेदारों का पंजीयन**					
	खण्ड कार्यालय	वर्ग डी एवं सी	30 कार्य दिवस	वरिष्ठ लेखा लिपिक	कार्यपालन अभियंता	अधीक्षण अभियंता
	मण्डल कार्यालय	वर्ग बी	30 कार्य दिवस	अधीक्षक	अधीक्षण अभियंता	मुख्य अभियंता
	परिक्षेत्र कार्यालय	वर्ग ए-1	45 कार्य दिवस	अधीक्षक	मुख्य अभियंता	प्रमुख अभियंता
	मुख्यालय कार्यालय	ए-2, एस-1/एस-2 से ए-5 एवं एस-3 से एस-5	45 कार्य दिवस	अधीक्षक	प्रमुख अभियंता	सचिव, छ.ग. शासन, लो.स्वा.यां.वि.
4.	खण्ड कार्यालय	निविदाओं का निराकरण	15 कार्य दिवस	वरिष्ठ लेखा लिपिक	कार्यपालन अभियंता	अधीक्षण अभियंता
	मण्डल कार्यालय	—,,—	30 कार्य दिवस	अधीक्षक	अधीक्षण अभियंता	मुख्य अभियंता
	परिक्षेत्र कार्यालय	—,,—	45 कार्य दिवस	अधीक्षक	मुख्य अभियंता	प्रमुख अभियंता
	मुख्यालय कार्यालय	—,,—	75 कार्य दिवस	अधीक्षक	प्रमुख अभियंता	सचिव, छ.ग. शासन, लो.स्वा.यां.वि.
5.	खण्ड कार्यालय	निविदा स्वीकृति पश्चात् कार्यादेश जारी करने	15 कार्य दिवस	वरिष्ठ लेखा लिपिक	कार्यपालन अभियंता	अधीक्षण अभियंता
	मण्डल कार्यालय	—,,—	20 कार्य दिवस	अधीक्षक	अधीक्षण अभियंता	मुख्य अभियंता
	परिक्षेत्र कार्यालय	—,,—	25 कार्य दिवस	अधीक्षक	मुख्य अभियंता	प्रमुख अभियंता
	मुख्यालय कार्यालय	—,,—	30 कार्य दिवस	अधीक्षक	प्रमुख अभियंता	सचिव, छ.ग. शासन, लो.स्वा.यां.वि.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.	खण्ड कार्यालय	असफल ठेकेदारों की अमानत राशि की वापसी (निविदा स्वीकृति के पश्चात्)	45 कार्य दिवस	वरिष्ठ लेखा लिपिक	कार्यपालन अभियंता	अधीक्षण/ मुख्य अभियंता

टीप :— हैण्डपंपों में सुधार हेतु टोल फ्री टेलीफोन क्रमांक 18002330008 पर किया जा सकेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. पी. किण्डो, विशेष सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.